न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या – 200/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रियांबडी		सुवालाल पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी रियांबड़ी के कायममुकाम 1. रामेश्वरी पत्नी सुवालाल 2. नानी देवी पत्नी धर्मीचन्द 3. मनोज पुत्र धर्मीचन्द 4. राहुल पुत्र धर्मीचन्द जाति मेघवाल निवासी खेड़ा धुणावाला हाल मुकाम हरसौर तहसील डेगाना। 5. रीनू उर्फ रीना देवी पुत्री धर्मीचन्द पत्नि राजूराम झूरियां (मेघवाल) निवासी रेल्वे स्टेशन बड़ी खादू तह.जायल जिला नागौर 6. सन्तोष पुत्री सुवालाल पत्नि आदूराम जाति मेघवाल निवासी खेड़ा धुणा तहसील रियांबड़ी हाल मुकाम हरसोर तहसील डेगाना हाल निवासी A/31 SHAYONA RESIDENCY NR HARIOM ESTATE] NR LAKSHMI POTTE, HJRWADI, G.D. SCHOOL ROAD, AHMEDABAD, PIN-382345

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दन सिंह आचीणा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 06.01.2020

तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा मौजा खेड़ाधूणावाला के साबिका खसरा नम्बर 297 मिन रकबा 0.89 हैक्टयर भूमि का अप्राथी सुवालाल पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी खेड़ाधुणावाला को सन् 1971 में किये गये आवंटन/अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार निरस्त करने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बने नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आवेदन न्यायालय हाजा में पेश किया, जिस पर प्रकरण दिनांक 19.10.2015 दर्ज किया जाकर अप्रार्थी सुवालाल के कायममुकामान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी रामेश्वरी व राहुल के विरूद्ध दिनांक 30.01.2017 व अप्रार्थी रीनू के विरूद्ध दिनांक 12.09.2019 को व अप्रार्थी सन्तोष के विरूद्ध दिनांक 19.12.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी नानी व मनोज ने दिनांक 25.02.2019 को आवेदन पेश कर प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करना चाहते है का निवेदन किया है।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार की एकतरफा बहस सुनी गई। राजपैरोकार ने प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि मौजा खेड़ाधूणावाला के साबिका खसरा नम्बर 297 मिन रकबा 0.89 हैक्टयर भूमि का अप्रार्थी सुवालाल पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी खेड़ाधुणावाला को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत आवंटन हुई थी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 679 ग्राम रियांबड़ी भरा जाकर गैर खातेदारी दर्ज की गई। अप्रार्थी को उक्त भूमि अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ वर्ष 1971 में आवंटित हुई थी एवं अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

के उपनियम 14(3) के तहत् प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू–भाग को व द्वितीय वर्ष में शेष भाग को जोतना आवश्यक था। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया जो खसरा गिरदावरी संवत् 2027–2071 तक के नकलों से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी को आंवटित भूमि काबिल काश्त नहीं है तथा मौके पर भूमि बंजड़ (पड़त) के रूप में है, जिस पर काश्त करना मुमकिन नहीं है, जो पटवारी हल्का जाटावास की रिपोर्ट से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया है, जिसके कारण अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 14 (3) के तहत् निरस्त योग्य होने का कथन करते हुए अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार निरस्त फरमानें का निवेदन किया।

राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। मौजा रियांबड़ी के साबिका खसरा नम्बर 297 मीन रकबा 0.89 बीघा भूमि (जिसे आगे वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जायेगा) का अप्रार्थी सुवालाल पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी खेड़ाधूणा को आवंटन करना बताया गया है, जो नामान्तकरण संख्या 676 की प्रति से साबित है। पटवारी जाटावास व भू अभिलेख निरीक्षक रियांबड़ी की रूबरू मौतबिरान फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 17.11.2014 के अनुसार मूल राजस्व ग्राम रियांबड़ी से खेड़ा धूणा वाला नवसर्जित राजस्व ग्राम बना है। साबिका खसरा नम्बर 297 में से रकबा 0.89 हैक्टयर की गैर खातेदारी सुवालाल वल्द शंकरलाल मेघवाल के नाम से अंकित है, जिसका हाल खसरा नम्बर 485/548 रकबा 0.89 हैक्टयर जो ग्राम खेड़ाधुणा वाला के हाल खसरा नम्बर 485 दिया जाकर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा इस खसरे में कोई तरमीम नहीं की है। अतः गैर खातेदार के हाल खसरा नम्बर 485/548 की मौका स्थिति धरातल पर पहचानने में नहीं आने से साबिका खसरा नम्बर 297 के हाल खसरा नम्बर 485/548, 485 का मौका देखने पर मौके पर कोई कब्जा काश्त के अलामात नहीं नहीं पाये गये अर्थात गैर खातेदार का कब्जा मौके पर नहीं पाया गया है। इसके अलावा हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी मनोज कुमार व नानी देवी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2019 को प्रस्तुत कर प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते है का निवेदन किया है, उक्त कथन से भी पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट को बल मिलता है कि अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि मौके पर कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत खसरा गिरदावरी की प्रतियों से भी अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर काश्त नहीं होने की पुष्टि होती है। आवंटित भू खण्ड पर कब्जा काश्त नहीं करके आवंटन आदेश की शर्तो की खिलाफवर्जी की जाना प्रमाणित है। इस प्रकार समग्र विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा खेड़ा धूणा वाला के साबिका खसरा नम्बर 297 मिन में से रकबा 0.89 हैक्टयर भूमि का अप्रार्थी सुवालाल पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी खेड़ाधुणावाला को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार रियांबड़ी को भूमि का इन्द्राज पूर्ववत बहाल कर भूमि सरकारी तहवील में लेने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रियांबड़ी को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.01.22 17:55:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: